


उपरोक्त उक्त पक्ष उक्त वादी का बाद
बचपन द्वारा 177 R.T. Act के अन्तर्गत भोग्य
नहीं होने से जारी किया जा रहा है।
विस्तृत विवरण अलग से लिखा जा रहा है।
है पताचली करने मन्त्रालय से काम होकर
राखिल गया है।


उपलब्ध अधिकारी
नावां (डोडवाना-मुख्यालय)

